निर्णय न्यायालय श्री हिमांशु शर्मा आर.ए.एस
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं.- 77/2015
दायरा दिनांक:- 5-10-2015
निर्णय दिनांक :- 11-04-2022

उनवान

रामस्वरूप पुत्र हरिराम उर्फ हरिलाल जाति धाकड़ निवासी खेराली तह० बारां जिला बारां

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री बड़े मथुरेश जी विराजमान कोटा जरिये संरक्षक एवं व्यवस्थापक श्री बड़े मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड कोटा श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य मार्ग पाटनपोल कोटा
2. श्री बड़े मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड कोटा श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य मार्ग पाटनपोल कोटा
3. उमाशंकर पुत्र जगलाल जाति मेघवाल निवासी बटावदी तहसील अटरू जिला बारां

प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA

निर्णय दिनांक :- 11.04.2022

उपस्थित अभिभाषक :- 1. श्री हरिओम चतुर्वेदी - प्रार्थी
2. श्री ओम भारद्वाज - अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगण के नामा. इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम खेराली तहसील बारां के खाता खसरा नम्बर 207 रकबा 4.21 हे. [illegible] खातेदार मूर्ति मंदिर श्री बड़े मथुरेश जी विराजमान [illegible] की प्रार्थी बतौर उप कृषक 30.8.2001 से [illegible] मुनाफा राशि [illegible] कर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। मूर्ति मंदिर श्री बड़े मथुरेश जी की

लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:15:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रबन्ध व्यवस्था अधिकारी व्यवस्थापक बड़े मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड द्वारा की जाती है टेम्पल बोर्ड ही श्री मंदिर श्री बड़े मथुरेश जी की सम्पत्तियों सेवा पूजा एवं मंदिर बड़े मथुरेश जी की देखरेख एवं प्रबन्ध व्यवस्था कर्ता अधिकारी एवं व्यवस्थापक सम्पन्न करता है। उक्त आराजी को जगलाल पुत्र भैरूलाल मेघवाल किसानी/खेती अपने पूर्वजों सहित बटोकियत उप कृषक मुनाफा काश्त पर काश्त करता था मंदिर की मुकर्रर राशि जमा कराने के असमर्थ होने से उक्त विवादित आराजी को जरिये इकरारनामा दिनांक 30.8.01 से आराजी का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिए जाने पर श्री बड़े मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड के तत्का. मुख्तार आम श्री नवीनचन्द्र शर्मा द्वारा प्रार्थी से राजीनामा कर प्रार्थी को विवादित आराजी का उप कृषक के रूप में 2650/- सालाना मुनाफा काश्त पर प्रार्थी को काश्त करने का अधिकार देकर 100/- के स्टाम्प पर राजीनामा दिनांक 30.8.01 को नोटेरी श्री रमेशचन्द्र गोयल बारां से प्रमाणित कराकर निष्पादित करवाया। राजीनामा दिनांक 30.8.01 से प्रार्थी बटोकियत उप कृषक प्रति वर्ष मुनाफा राशि अदा कर विवादित आराजी को काश्त करता आ रहा है।

प्रार्थी ने सन् 2012 तक राजीनामा के अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को 100/- प्रति बीघा प्रति वर्ष मुनाफा राशि का भुगतान किया सन् 2013 में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने प्रार्थी से 200/- प्रति वर्ष प्रति बीघा मुनाफा राशि श्री मंदिर की व्यवस्था हेतु मुनाफा भुगतान करने का निवेदन किया जो प्रार्थी ने स्वीकार कर रसीद सं. 718 दिनांक 4.5.2013 से 5300/- मुनाफा राशि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को अदा की। सम्वत 2071 की मुनाफा राशि 5300/- का बैंक ड्राफ्ट सं. 170341 दिनांक 30.6.2014 SBBJ बारां का जरिये रजि. डाक अप्रार्थी गण को भिजवाया जो अप्रार्थी क्रम 1 को प्राप्त हो गया है सम्वत 2072 की मुनाफा राशि 5300/- का भुगतान अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को प्रार्थी करने गया तो उन्होंने 5000/- प्रति बीघा प्रति वर्ष अदा करने को कहा इस पर प्रार्थी ने कहा कि मैं आपको राजीनामा में वर्णित राशि 2650/- से दुगुनी राशि भुगतान कर चुका हूँ आप 5300/- [illegible] राशि प्राप्त कर उसकी रसीद देवें इस पर अप्रार्थी क्रम 1 [illegible] इस पर प्रार्थी ने मुनाफा राशि 5300/- का बैंक ड्राफ्ट [illegible]06425 दिनांक 24.5.2015 SBBJ शाखा बारां का मय नोटिस दिनांक [illegible].4.15 जरिये डाक भिजवाया जो

लगातार-3

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:15:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी गण ने नोटिस के इन्कार करने की टिप्पणी सहित वापस लौटा आया। अप्रार्थी क्र. 1 व 2 राजीनामा दिनांक 30.8.2001 की शर्तों की अनुपालना नहीं कर प्रार्थी द्वारा विधिवत भेजी गई मुनाफा राशि को प्राप्त न कर प्रार्थी के उप कृषक के अधिकार को समाप्त करने पर आमादा है राजीनामा दिनांक 30.8.01 मे वर्णित शर्त के अनुसार प्रार्थी को 2 वर्ष तक मुनाफा राशि के भुगतान मे चूक करने पर विवादित आराजी के कब्जे से बेदखल करने की शर्त है अप्रार्थीगण ने उनके द्वारा निष्पादित राजीनामे के विरुद्ध विवादित आराजी से प्रार्थी को विधिवत बेदखल किये बिना ही अप्रार्थी क्र. 3 ओमप्रकाश पुत्र ब्रजलाल निवासी बयावदी तह० अन्ता को बेदखल दखलनामा दिनांक 3.5.2015 को जारी कर दिया है अवैध एवं शून्य दखलनामा के आधार पर विवादित आराजी पर दखल प्राप्त करके अप्रार्थी क्र. 3 ने प्रार्थी के विरुद्ध मिथ्या प्रतिकूल अधिपत्य धारा का परिवाद पेश किया जो गलत अनुचित है। अप्रार्थी क्र. 1 व 2 को उप कृषक प्रार्थी के काश्त की आराजी को अन्य तीसरे व्यक्ति को मुनाफा काश्त पर देने का कोई अधिकार नहीं है अप्रार्थी क्र. 1 व 2 - राजीनामा दि० 30.8.01 से पाबन्द है अप्रार्थी क्र. 1 व 2 द्वारा राजीनामा दिनांक 30.8.01 के विरुद्ध विवादित आराजी बाबत अप्रार्थी क्र. 3 के पक्ष मे दिनांक 3.5.2015 को जारी किया गया दखलनामा अवैध एवं शून्य दस्तावेज है जिसके आधार पर अप्रार्थी क्र. 3 को विवादित आराजी के विधिवत शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त मे मदाखलत दस्तन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है प्रार्थी उक्त विवादित आराजी के विधिवत शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त मे अवैध शून्य दस्तावेज दखलनामा के आधार पर बेदखल न करने बाबत अप्रार्थी गण के विरुद्ध नाफेहुक्म वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है प्रार्थी का वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है यदि उक्त अवैध एवं शून्य दस्तावेज दखलनामा दिनांक 3.5.15 के आधार पर प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी का परिवार भूखा मर जायेगा। तथा अनावश्यक लम्बी कानूनी [illegible] का सामना करना पड़ेगा जिससे उसे भारी अपूरणीय [illegible] व मूल्यांकन करना मे सम्भव नहीं है प्रार्थी द्वारा [illegible] स्वीकार करने का निवेदन किया है। ——×——

लगातार 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:15:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. कर अप्रार्थी गण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी क्र. 3 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल राजीनामा दिनांक 30.8.2001, नकल इकरारनामा दिनांक 30.8.2001, रसीद नं. 2409 दिनांक 30.8.2001, फोटो प्रति रसीद नं. 167 दिनांक 22.7.03, रसीद नं. 822 दिनांक 1.6.2004, रसीद जुलाई 2005 से 2013 तक पेश की गयी, फोटो प्रति बैंक डी.डी 5300 दिनांक 23.6.2014, दिनांक 24.04.2015, पेश की गयी।

बहस अभिभाषक आम पक्षकारान सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेराली तह० बारां में ख.नं. 207 रकबा 4.21 हे. श्री मंदिर श्री बड़े मथुरेश जी के खातेदारी में है प्रार्थी उक्त आराजी को बतौर उप कृषक 30.8.2001 से प्रति वर्ष मुनाफा राशि जमा करा कर काश्त करता चला आ रहा है श्री मंदिर श्री बड़े मथुरेश जी की पूजा, सेवा पूजा एवं मंदिर बड़े मथुरेश जी की देख रेख टेम्पल बोर्ड के ~~प्रबन्ध~~ अधिकारी एवं व्यवस्थापक करते है उक्त विवादित आराजी को पूर्व से भैरूलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी खेराली अपने प्रतिवर्ष निश्चित मुनाफा काश्त पर काश्त करता चला आ रहा था। भैरूलाल मंदिर की मय मुनाफा राशि जमा करवाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने विवादित आराजी को जरिये इकरारनामा दिनांक 30.8.2001 से कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया, तथा बड़े मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड के रजि. मुख्तार आम श्री नवीनचन्द शर्मा द्वारा प्रार्थी से राजीनामा कर प्रार्थी को उक्त विवादित आराजी का 2650/- के सालाना मुनाफा काश्त पर प्रार्थी को काश्त करने का अधिकार देकर 100/- के स्टाम्प पर राजीनामा दिनांक 30.8.2001 को सौंपी थी। प्रमाणित कब्जा कर विवादित कायम तभी से प्रार्थी मुनाफा काश्त अदा कर विवादित आराजी को काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी प्रति वर्ष मुनाफा राशि जमा कराता था उसकी रसीद प्रार्थी द्वारा पेश की है, अप्रार्थी विवादित राजीनामे के विरुद्ध विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल किये बिना ही अप्रार्थी क्र. 3 श्यामशंकर पुत्र तह० अटरू को इकरारनामा दिनांक 3.5.2015 को जारी कर दिया अप्रार्थी क्र. 1 व 2 को उपकृषक

लगातार - 5

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:15:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी को अन्य गैर व्यक्ति को मुनाफा काश्त पर देने का कोई अधिकार नहीं है, अप्रार्थी क्र. 1 व 2 उक्त राजीनामा दिनांक 30.8.2001 से पाबन्द है, अप्रार्थी क्र. 3 को तामील कराई जावे उसको भी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत दखलन्दाजी नहीं करे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी को अप्रार्थी क्र. 3 के पिता अपने पूर्वजों के समय से ही मुनाफा काश्त के आधार पर काबिज काश्त चला आ रहा था। वर्ष 2001 के बाद बीमार होने व कृषि करने में असमर्थ होने के कारण अप्रार्थी क्र. 3 के पिता जयलाल द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पांच साल का इकरारनामा तैयार करवाया गया था प्रार्थी द्वारा छलकपट व कूट रचित तरीके से जयलाल की अज्ञानता का फायदा उठाकर उक्त वर्णित आराजी की काबिज काश्त व अन्य कृषि योग्य अधिकार हेतु प्राप्त करने का इकरारनामा जयलाल से लिखवा लिया गया है, जो सरासर गलत था। पिता जयलाल की मृत्यु होने के बाद विवादित आराजी को काश्त करने गए तो प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि काश्त नहीं करने दी। प्रार्थी जबरन ताकत के बल पर कब्जा करके बैठा है जो विधि विरुद्ध है अप्रार्थी क्र. 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी क्र. 3 के पक्ष में उक्त विवादित आराजी का इन्तकाल दिनांक 3.5.2015 को किया हुआ है उसके बावजूद भी प्रार्थी उक्त वर्णित आराजी पर जबरन जोर आने के कारण कब्जा नहीं छोड़ रहा है, जबकि अप्रार्थी क्र. 3 के पूर्वजों का लगभग 50-60 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा था। अप्रार्थी क्र. 3 का जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रसीद की प्रति एवं बैंक डी.डी. के आधार पर यह जाहिर होता है कि विवादित आराजी पर वादी/प्रार्थी का कब्जा काश्त है जहां इकरारनामा एवं राजीनामा से भी [illegible] होता है कि अप्रार्थी क्र. 3 के पिता भी जयलाल [illegible] इकरारनामा लिखवाया था तथा स्वयं के आर[illegible] आदि को प्रार्थी के लिए [illegible] गया था। अतः है वादी/प्रार्थी के कब्जे काश्त से मुनाफा

लगातार-6

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:15:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राशि जमा करा कर काश्त करता चला आ रहा है अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी क्रम 3 के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। अप्रार्थी क्रम 3 कब्जा साबित करने में विफल रहे है। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी क्रम 1, 2 का द्वारा प्रार्थी का ही कब्जा होना बताया है तथा प्रार्थी ही काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी द्वारा कब्जे बाबत एवं मुआवजा काश्त की राशि के जी.जी एवं रसीद पेश की है जिससे प्रार्थी का कब्जा काश्त साबित होता है अप्रार्थी क्रम 3 अपना कब्जा साबित करने में विफल रहे है अप्रार्थी क्रम 3 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी क्रम 3 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है अप्रार्थी गण को स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम घेराली तह० बारां के ख० नं० 207 रकबा 4.21 हे० से प्रार्थी को बेदखल न करे। प्रार्थी को शान्ति पूर्वक काश्त करने दे प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

निर्णय लिखाया जा कर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:15:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner